

राजस्थान सरकार,
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग

क्रमांक: प.6(41)प्र.सु./अनु.-3/95

दिनांक: 15.9.2007

आज्ञा

प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग के आदेश क्रमांक प.6(41)प्र.सु./अनु.3/95 दिनांक 4-12-95 के अतिक्रमण में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में स्थाई राज्य स्तरीय आयोजना एवं विकास समन्वय समितियों के पुनर्गठन की निम्नानुसार महामहिम राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं:--

1. कृषि, भण्डारण व्यवस्था निगम, पशुपालन, मत्स्य, डेयरी, उद्यान एवं सहकारिता विभाग।
2. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम, मिड-डे मील, जलग्रहण एवं भू-संरक्षण, बॉयो गैस, डी.पी.आई.पी., बी.ए.डी.पी., बी.आर.जी.एफ., डी.डी.पी., डी.पी.ए.पी., एस.जी.एस.वाई., एस.जी.आर.वाई. सहित।
3. जल संसाधन, इन्दिरा गांधी नहर मण्डल, सिंचित क्षेत्र विकास, जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू-जल विभाग।
4. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, एस.सी./एस.टी./अल्पसंख्यक/ अन्य पिछड़ी जाति से सम्बन्धित कार्यक्रम, खेल एवं युवा मामलात, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग।
5. उद्योग, लघु उद्योग एवं खादी एवं ग्रामोद्योग।
6. खान एवं पेट्रोलियम, ऊर्जा विभाग।
7. स्वायत्त शासन, शहरी विकास एवं आवासन।
8. स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी।
9. पर्यटन, कला एवं संस्कृति, सूचना एवं जन-सम्पर्क।
10. सार्वजनिक निर्माण विभाग, यातायात, श्रम एवं नियोजन।
11. राजस्व, वन एवं पर्यावरण।
12. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, ई.एस.आई., आयुर्वेद, महिला अधिकारिता, बाल विकास विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा।

इन समितियों का प्रशासनिक विभाग आयोजना विभाग होगा।

समितियों की सदस्यता:-

| क्र.सं. | सदस्य का पद नाम | समितियों की क्रम संख्या, जिसके सदस्य बनाए गए हैं |
|---------|---|--|
| 1. | अतिरक्त मुख्य सचिव, विकास | समस्त 12 समितियों हेतु |
| 2. | प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार | |
| 3. | प्रमुख शासन सचिव, वित्त एवं आयोजना | |
| 4. | शासन सचिव, वित्त (व्यय) | |
| 5. | शासन सचिव, आयोजना | |
| 6. | प्रमुख शासन सचिव, राजस्व | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 एवं 11 |
| 7. | प्रमुख शासन सचिव, जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी | 2, 3, 4, 7 एवं 8 |
| 8. | प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज | 1, 2, 3, 4, 8 एवं 11 |
| 9. | प्रमुख शासन सचिव, कृषि | 1, 2, एवं 3 |
| 10. | प्रमुख शासन सचिव, वन, लघु उद्योग एवं खादी | 2, 5, 6, 7, 10 एवं 11 |
| 11. | प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता | 1 एवं 2 |
| 12. | प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा | 2, 8 एवं 12 |
| 13. | प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास | 2, 8 एवं 12 |
| 14. | प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन | 3 |
| 15. | प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता | 4 एवं 12 |
| 16. | प्रमुख शासन सचिव, टी.ए.डी. | 4 |
| 17. | प्रमुख शासन सचिव, उद्योग | 5, 6, 7 एवं 11 |
| 18. | प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग | 6, 7, 10 एवं 11 |
| 19. | प्रमुख शासन सचिव, सिंचित क्षेत्र विकास | 3 |
| 20. | प्रमुख शासन सचिव, पर्यावरण | 5, 6, 7, 11 एवं 12 |
| 21. | प्रमुख शासन सचिव, अरबन गवर्नेन्स | 7 |
| 22. | प्रमुख शासन सचिव, श्रम एवं रोजगार | 10 एवं 12 |
| 23. | प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा | 8 |
| 24. | प्रमुख शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा | 8 |


| क्र.सं. | सदस्य का पद नाम | समितियों की क्रम संख्या, जिसके सदस्य बनाए गए हैं |
|---------|--|---|
| 25. | प्रमुख शासन सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | 8 |
| 26. | प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन | 9 |
| 27. | प्रमुख शासन सचिव, कला एवं संस्कृति | 9 |
| 28. | प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क | 9 |
| 29. | प्रमुख शासन सचिव, गृह एवं यातायात | 9 एवं 10 |
| 30. | प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य | 12 |
| 31. | प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद | 12 |
| 32. | शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति | 1, 2, 8 एवं 12 |
| 33. | शासन सचिव, स्वायत्त शासन | 7, 9, 11 एवं 12 |
| 34. | शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा | 12 |
| 35. | शासन सचिव, ऊर्जा | 5, 6 एवं 7 |
| 36. | शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम | 6 एवं 11 |
| 37. | शासन सचिव, खेल एवं युवा मामलात | 4 एवं 8 |

बैठक के विचारणीय बिन्दु:-

1. योजना कार्यों की प्रगति:-
(अ) नवीनतम वित्तीय (राज्य योजना एवं केन्द्रीय प्रवर्तित योजना) एवं भौतिक प्रगति ।
(ब) बाह्य सहायता परियोजनाओं की वित्तीय प्रगति ।
(स) टी.एस.पी./एस.सी.पी. अन्तर्गत वित्तीय प्रगति ।
2. महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय (वित्त मंत्री) के बजट भाषण में की गई घोषणाओं की क्रियान्विति की समीक्षा ।
3. आऊट कम/सर्विस डिलीवरी में सुधार हेतु किए गए प्रयास विशेषकर- ऊर्जा, जलप्रदाय, ग्रामीण विकास, चिकित्सा एवं शिक्षा के क्षेत्र में ।
4. अन्तर्विभागीय समस्याएं, यदि कोई हो ।
5. कंप्यूट्राइजेशन की प्रगति ।
6. अन्य बिन्दु, यदि कोई हो तो अध्यक्ष की अनुमति से ।


उक्त बैठकें वर्ष में तीन बार आयोजित की जाएगी। बैठक में समिति के स्थाई सदस्यों के अतिरिक्त विभागाध्यक्ष एवं समकक्ष अधिकारी बैठक से सम्बन्धित प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव की आवश्यकतानुसार भाग लेंगे।

आज्ञा से,


(गजानन्द)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त प्रमुख शासन सचिव /शासन सचिव, -----
4. समस्त विभागाध्यक्ष (योजना से सम्बन्धित)-----।
5. समस्त अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक।
6. निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, जयपुर।
7. उप शासन सचिव, आयोजना/आयोजना-वित्त/संस्थागत -वित्त/जनशक्ति
8. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय/अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त एवं आयोजना विभाग।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग।
11. उप निदेशक, आयोजना (ग्रुप-3) विभाग को आज्ञा की अतिरिक्त प्रतियां समस्त सम्बन्धित को वितरण हेतु प्रेषित है।
12. रक्षित पत्रावली।


अनुभागाधिकारी